भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/2025-26/27

विवि.एलआरजी.आरईसी.18/03.10.001/2025-26 21 अप्रैल 2025

महोदया/ महोदय,

चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) – उच्च गुणवत्ता युक्त चलआस्तियों (एचक्यूएलए) पर हेयरकट की समीक्षा और जमाराशियों की कुछ श्रेणियों पर संरचना और रन-ऑफ दरों की समीक्षा

कृपया 'चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी साधन तथा एलसीआर प्रकटीकरण मानक' और संबंधित दिशानिर्देशों पर दिनांक 09 जून 2014 के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14 का संदर्भ लें। इस विषय पर 25 जुलाई 2024 को जारी मसौदा परिपत्र का भी संदर्भ आमंत्रित किया गया है, जिसमें सभी हितधारकों से फीडबैक आमंत्रित किया गया है।

2. प्राप्त फीडबैक का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम दिशानिर्देशों को निम्नानुसार जारी किया जाए:

i. बैंक को खुदरा जमाराशियों के लिए 2.5 प्रतिशत का अतिरिक्त रन-ऑफ फैक्टर निर्धारित करना होगा, जो इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं (आईएमबी)[1] से युक्त हैं, अर्थात्, आईएमबी सुविधाओं से युक्त स्थिर खुदरा जमाराशियों के लिए 7.5 प्रतिशत रन-ऑफ फैक्टर होगा तथा आईएमबी सुविधाओं से युक्त कम स्थिर जमाराशियों के लिए 12.5 प्रतिशत रन-ऑफ फैक्टर होगा (वर्तमान में निर्धारित क्रमशः 5 और 10 प्रतिशत के स्थान पर)।

ii. गैर-वित्तीय लघु व्यवसाय ग्राहकों (एसबीसी) द्वारा प्रदान की गई अरक्षित थोक निधि को उपर्युक्त (i) के अनुसार खुदरा जमाराशियों की सुविधा के अनुसार माना जाएगा।

iii. सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में स्तर 1 एचक्यूएलए का मूल्यांकन उनके वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक राशि पर नहीं किया जाएगा, जिसे समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 6 जून 2018 के आरबीआई परिपत्र एफएमओडी.एमएओजी संख्या 125/01.01.001/2017-18 में वर्णित चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप लागू हेयरकट के लिए समायोजित किया जाएगा।

[1] इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं (आईएमबी) में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसी सभी सुविधाएं शामिल हैं, जो केवल यहीं तक सीमित नहीं है, जिससे ग्राहक अपने खाते/खातों से डिजिटल रूप से धनराशि अंतरित कर सकते हैं।

iv. यदि कोई जमाराशि, जिसे अब तक एलसीआर गणना से बाहर रखा गया है (उदाहरण के लिए, गैर-प्रतिदेय सावधि जमाराशि), क्रेडिट सुविधा या ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में संविदात्मक रूप से गिरवी रखी जाती है, तो ऐसी जमाराशि को एलसीआर प्रयोजनों के लिए प्रतिदेय माना जाएगा और इस पर 23 मार्च 2016 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी. संख्या 86/21.04.098/2015-16 के अनुबंध के क्रम संख्या 9 के प्रावधान लागू होंगे।

3. 23 मार्च 2016 को जारी ' चलनिधि जोखिम प्रबंधन और चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना - चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी साधन तथा एलसीआर प्रकटीकरण मानक' पर परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.86/21.04.098/2015-16 के अनुबंध के क्रम संख्या 10 का भी संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें यह प्रावधान है कि हिंदू अविभक्त परिवार (एचयूएफ), भागीदारी, व्यक्तियों के संघ (एओपी), ट्रस्ट इत्यादि जैसी संस्थाओं की जमाराशियों को अरक्षित थोक वित्तपोषण श्रेणी के तहत 'अन्य विधिक संस्थाओं (ओएलई)' की जमाराशि के रूप में माना जाएगा और इस पर 100 प्रतिशत की रन-ऑफ दर लागू होगी, बशर्ते कि उन्हें एलसीआर प्रयोजन के लिए एसबीसी के रूप में नहीं माना जाता है।

4. समीक्षा के आधार पर अब यह निर्णय लिया गया है कि ओएलई श्रेणी में बैंकों/बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों[2] तथा 'वित्तीय सेवाओं के कारोबार'[3] में लगी संस्थाओं से प्राप्त सभी जमाराशियां और अन्य निधियन शामिल होंगे। इस प्रकार, ट्रस्ट (शैक्षिक/धार्मिक/धर्मार्थ), व्यक्तियों के संघ (एओपी), भागीदारी, स्वामित्व, सीमित देयता भागीदारी और अन्य निगमित संस्थाओं आदि जैसी गैर-वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त निधियन को 'गैर-वित्तीय कंपनी' से प्राप्त निधियन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और इस पर 40 प्रतिशत की रन-ऑफ दर लागू होगी (वर्तमान में निर्धारित 100 प्रतिशत के स्थान पर[4]), जब तक कि उपर्युक्त संस्थाओं को एलसीआर संरचना के अंतर्गत एसबीसी के रूप में नहीं माना जाता है।

5. इन संशोधनों से भारत में बैंकों की चलनिधि आघात-सहनीयता सुधारने में मदद मिलेगी और दिशानिर्देशों को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित किया जा सकेगा, साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इस तरह की वृद्धि निर्बाध तरीके से की जाए।

---

[2] बैंक, वित्तीय संस्थाएं मानी जाने वाली संस्थाओं की सांकेतिक सूची के लिए समय-समय पर अद्यतन किए गए दिनांक 01 अप्रैल 2025 के 'बासल III पूंजी विनियमावली' पर मास्टर परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.2/21.06.201/2025-26 के पैराग्राफ 4.4.9.1(ii) का संदर्भ ले सकता है।

[3] जैसा कि 26 मई 2016 के 'बैंकों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सेवाएं' पर मास्टर निदेश डीबीआर.एफएसडी.सं.101/24.01.041/2015-16 के पैराग्राफ 3.vi में परिभाषित किया गया है।

[4] दिनांक 23 मार्च 2016 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.86/21.04.098/2015-16 के अनुबंध के क्रम संख्या 10 के अनुसार।

6. तदनुसार, दिनांक 09 जून 2014 के परिपत्र, पूर्वोक्त और 23 मार्च 2016 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.86/21.04.098/2015-16 'चलनिधि जोखिम प्रबंधन और चलनिधि मानकों पर बासल III ढांचा – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी साधन तथा एलसीआर प्रकटीकरण मानक' में मौजूदा अनुदेशों में किए गए संशोधन **अनुबंध** में दिए गए हैं।

7. यह परिपत्र सभी वाणिज्यिक बैंकों (भुगतान बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) पर लागू होगा।

8. ये संशोधन **01 अप्रैल 2026** से लागू होंगे।

भवदीया,

(उषा जानकीरमन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

1. 'चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी साधन तथा एलसीआर प्रकटीकरण मानक' पर दिनांक 09 जून 2014 का परिपत्र डीबीओडी. बीपी. बीसी. सं. 120/ 21.04.098/2013-14

ए. मौजूदा पाठ में संशोधन

क्रम संख्या	संदर्भ पैराग्राफ़	मौजूदा पाठ	संशोधित पाठ
1	5.4	बैंक की स्तर 1 आस्तियों में निम्नलिखित शामिल है तथा इन आस्तियों को बिना किसी सीमा के और बिना कोई हेयरकट लागू किए चलनिधि आस्तियों के स्टॉक में शामिल किया जा सकता है।	~~बैंक की~~ स्तर 1 ~~आस्तियों में निम्नलिखित शामिल है तथा इन~~ की आस्तियों को बिना किसी सीमा के या बिना किसी कटौती के ~~चलनिधि आस्तियों~~ एचक्यूएलए के स्टॉक में शामिल किया जा सकता है तथा उनका मूल्यांकन उनके वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक नहीं किया जाएगा। बशर्ते कि आरबीआई के दिनांक 06 जून 2018 परिपत्र एफएमओडी.एमएओजी संख्या 125 /01.01.001/ 2017-18 और समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र के अनुसार 01 अप्रैल 2026 से सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में स्तर 1 एचक्यूएलए पर चलनिधि समायोजन सुविधा और सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत निर्धारित हेयरकट लागू होंगे। स्तर 1 की आस्तियां निम्नलिखित तक सीमित हैं.....

बी. बीएलआर 1 में संशोधन: चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर वक्तव्य

बैंक का नाम				
रिपोर्टिंग की बारंबारता		मासिक		
दिनक -- तक की स्थिति				
		(राशि करोड़ रूपयों में)		
I	II	III	IV	V (III*IV)
	पैनल।			

	उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)	**अभारित राशि**	**रन ऑफ तत्व (प्रतिशत में)**	**भारित राशि**
	स्तर 1 आस्तियाँ			
1	हाथ में नकद		100	
2	अतिरिक्त सीआरआर शेष		100	
3	न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूतियाँ [1]		100	
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एमएसएफ़ के अधीन अनुमत सीमा तक अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के भीतर सरकारी प्रतिभूतियाँ [1]		100	
5	विदेशी संप्रभु द्वारा जारी या गारंटीकृत बिक्रियोग्य प्रतिभूतियाँ जिन पर बासल II मांकिकृत विधि के अनुसार 0% जोखिम भार हैं (वर्तमान में एमएसएफ़ के लिए अनुमत एनडीटीएल के 2% की सीमा तक)		100	
6	चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा [1]		100	
7	कुल स्तर 1 की आस्तियां (1+2+3+4+5+6)			
8	**जोड़ें –** कार्पोरेट बांड में 30 दिन तक की अवधि में रिवर्स रेपों लेनदेन के अधीन दी गई राशि (वे स्तर 2 आस्तियों के लिए पात्र हैं या नहीं, इस पर ध्यान न देते हुए)		100	

[1] सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में स्तर 1 एचक्यूएलए के लिए अभारित राशि को बीएलआर 1 में शामिल किया जाएगा, जो एलएएफ/एमएसएफ के अनुरूप हेयरकट के अनुप्रयोग के बाद होगी। इस अभारित राशि पर 100 प्रतिशत फैक्टर गुणक लागू किया जाएगा।

9	घटाएँ - कार्पोरेट बांड में 30 दिन तक की अवधि में रिवर्स रेपों लेनदेन के अधीन ली गई राशि (वे स्तर 2 आस्तियों के लिए पात्र हैं या नहीं, इस पर ध्यान न देते हुए)		100	
10	**कुल समायोजित स्तर 1 आस्तियां (7+8-9**)			
	स्तर 2 आस्तियां			
	स्तर 2ए आस्तियां			
11	संप्रभु सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं अथवा बहुमुखी विकास बैंकों के दावे अथवा उनके द्वारा गारंटीकृत दावे दर्शाने वाली बिक्री योग्य प्रतिभूतियाँ, जिन पर बासल ॥ मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत रन जोखिम पर 20% जोखिम भार लगाया गया है, बशर्ते उन्हें किसी बैंक/ वित्तीय संस्था/एनबीएफ़सी अथवा उनकी किसी संबद्ध संस्था द्वारा जारी न किया गया हो (जारीकर्ता-वार विवरण ज्ञापन मद संख्या 2 के अंतर्गत प्रदान किया जाए)		85	
12	कॉर्पोरेट बांड, जिन्हें किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी अथवा उनकी किसी संबद्ध संस्था द्वारा जारी नहीं किए गए हों, जिन्हें किसी पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा एए- या उससे ऊपर की रेटिंग दी गई हो।		85	
13	वाणिज्यिक पत्र, जिन्हें किसी बैंक/पीडी/वित्तीय संस्थान अथवा उसकी किसी संबद्ध संस्था द्वारा जारी न किया गया हों, जिनके पास किसी पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा एए - या उससे ऊपर रेटिंग के बराबर अल्पकालिक रेटिंग दी गई हो।		85	
14	**कुल स्तर 2ए आस्तियां (11+12+13)**			
15	**जोड़ें –** 30 दिनों की अवधि के लिए किए गए रेपो लेनदेनों के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखे गए स्तर 2ए कार्पोरेट बांडों का बाजार मूल्य		85	
16	**घटाएँ -** 30 दिनों की अवधि के लिए किए गए रिवर्स रेपो लेनदेनों के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखे गए स्तर 2ए कार्पोरेट बांडों का बाजार मूल्य		85	
17	**कुल समायोजित स्तर 2 ए आस्तियां (14+15-16)**			
	स्तर 2बी आस्तियां			
18	सम्प्रभु द्वारा किए गए अथवा गारंटीकृत बिक्रीयोग्य प्रतिभूतियां, जिनका जोखिम भार 20% से ज्यादा, किंतु 50% से ज्यादा नहीं है।		50	
19	किसी बैंक / वित्तीय संस्था/एनबीएफसी अथवा उसकी किसी संबद्ध संस्था द्वारा जारी न किए गए तथा एनएसई सीएनएक्स तथा/अथवा एसपी बीएसई सेंसेक्स सूचकांक में शामिल किए गए सामान्य इक्विटी शेयर		50	
19A	कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ (वाणिज्यिक पत्र सहित)		50	
20	**कुल स्तर 2बी आस्तियां (18+19+19ए)**			
21	**जोड़ें -** 30 दिनों तक (और उसमें शामिल) के लिए किए गए रेपो लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में रखे गए रेपो-योग्य स्तर 2 बी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य		50	
22	**घटाएँ -** 30 दिनों तक (और उसमें शामिल) के लिए किए गए रिवर्स रेपो लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त रेपो-योग्य स्तर 2बी प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य		50	
23	**कुल स्तर 2बी समायोजित आस्तियां (20 + 21 -22)**			
24	**एचक्यूएलए का कुल स्टॉक स्तर 1** + स्तर 2ए + स्तर 2बी 15% की अधिकतम सीमा के लिए -समायोजन समायोजन 40% अधिकतम सीमा के लिए जहां : 15% अधिकतम सीमा के लिए समायोजन = अधिकतम (स्तर 2बी 15/85 (समायोजित स्तर 1 + समायोजित स्तर 2ए), स्तर 2 बी 15/60+ समायोजित स्तर 1, 0) 40% अधिकतम सीमा के लिए समायोजन अधिकतम (समायोजित स्तर 2ए + स्तर 2बी 15% अधिकतम सीमा के लिए समायोजन) 2/3+ समायोजित स्तर 1 आस्तियां, 0) = [नोटः इस फॉर्मूले के लिए विभिन्न आस्तियों की केवल भारित राशियां ही ली जाएं]			
25	चलनिधि अंतरण प्रतिबंधों को प्रतिबिंबित करने के लिए एचक्यूएलए में समायोजन (एकाधिक अधिकार क्षेत्रों में परिचालित बैंकों के लिए लागू) - विवरण ज्ञापन मद 3 में दिया गया है			
26	**एचक्यूएलए का समायोजित कुल स्टॉक**			
	पैनल ॥			
क्रम संख्या	**30 दिन की अवधि में निवल नकद प्रवाह**	**अभारित राशि**	**रन ऑफ तत्व (प्रतिशत में)**	**भारित राशि**
	ए. नकद बहिर्प्रवाह			

1	**खुदरा जमाराशियां [(i) + (ii)]**			
1.(i)	टिकाऊ जमाराशियाँ			
1.i.a	आईएमबी सुविधाओं से युक्त जमाराशियाँ [2]		7.5	
1.i.b	आईएमबी सुविधाओं के बिना जमाराशियाँ		5	
1.(ii)	कम टिकाऊ जमाराशियाँ			
1.(ii).a	आईएमबी सुविधाओं से युक्त जमाराशियाँ		12.5	
1.(ii).b	आईएमबी सुविधाओं के बिना जमाराशियाँ		10	
2	**अप्रतिभूत थोक निधीयन [(i)+(ii)+(iii)+(iv)]:**			
2.(i)	छोटे कारोबारी ग्राहकों द्वारा उपलब्ध कराई गई ~~(30 दिन से कम परिपक्वता)~~ मांग और मीयादी जमाराशियां [(क) + (ख)]			
2.(i).a	टिकाऊ जमाराशियाँ			
2.(i).a.i	आईएमबी सुविधाओं से युक्त जमाराशियाँ		7.5	
2.(i).a.ii	आईएमबी सुविधाओं के बिना जमाराशियाँ		5	
2.(i).b	कम टिकाऊ जमाराशियाँ			
2.(i).b.i	आईएमबी सुविधाओं से युक्त जमाराशियाँ		12.5	
2.(i).b.ii	आईएमबी सुविधाओं के बिना जमाराशियाँ		10	
2.(ii)	समाशोधन, अभिरक्षा तथा नकद प्रबंधन कार्यकलापों द्वारा उत्पन्न परिचालनगत जमाराशियां [(क)+(ख)]			
2.(ii).a	जमा बीमा द्वारा कवर किया गया भाग		5	
2.(ii).b	जमा बीमा द्वारा कवर न किया गया भाग		25	
2.(iii)	वित्तेतर कॉर्पोरेट [3], सम्प्रभु केंद्रीय बैंक, बहुमुखी विकास बैंक और पीएसई		40	
2.(iv)	अन्य विधिक ईकाई ग्राहकों से निधीयन (इस श्रेणी में जो ऊपर शामिल नहीं हैं ऐसे बैंकों/बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों [4] तथा वित्तीय सेवाओं [5] के व्यवसाय की संस्थाओं से प्राप्त सभी जमाराशियां और अन्य निधीयन शामिल होंगे।)		100	
3	**प्रतिभूत निधीयन [(i) + (ii) + (iii) + (iv)]:**			
3.(i)	भारिबैंक/केंद्रीय बैंक के साथ प्रतिभूत निधीयन लेनदेन या किसी प्रतिपक्षकार के साथ स्तर 1 आस्तियों द्वारा समर्थित		0	
3.(ii)	किसी प्रतिपक्षकार के साथ स्तर 2ए आस्तियों द्वारा समर्थित		15	
3.(iii)	किसी प्रतिपक्षकार के साथ स्तर 2बी आस्तियों द्वारा समर्थित		50	
3.(iv)	कोई अन्य प्रतिभूत निधीयन		100	
4	**अतिरिक्त अपेक्षाएँ [(i) +(ii) +(iii) +(iv) +(v) +(vi) +(vii) +(viii) +(ix)+(x)+(xi)]**			
4.(i)	निवल व्युत्पन्नी नकद बहिर्प्रवाह		100	
4.(ii)	वित्तीय लेनदेन, व्युत्पन्नी तथा अन्य संविदाएं, जहां 3-स्तर गिरावट तक डाउनग्रेड ट्रिगर संबंधित चलनिधि आवश्यकताएं (जैसे संपार्श्विक प्रतिदेयताएं)		100	
4.(iii)	लुक बैक दृष्टिकोण के आधार पर डेरिवेटिव लेनदेन पर बाजार मूल्यांकन में परिवर्तन (पिछले 24 महीनों के दौरान प्राप्त सबसे बड़ा निरपेक्ष शुद्ध 30-दिवसीय संपार्श्विक प्रवाह)		100	
4.(iv)	गैर-स्तर 1 पोस्टेड संपार्श्विक प्रतिभूत व्यूत्पन्नी पर मूल्यांकन परिवर्तनों की संभावना से संबंधित बढ़ी हुई चलनिधि आवश्यकताएं		20	
4.(v)	बैंकों द्वारा धारित बेशी अपृथक संपार्श्विक, जिसे प्रतिपक्षकार द्वारा किसी भी समय संविदात्मक रूप से कॉल किया जा सकता है, से संबंधित बढ़ी हुई चलनिधि आवश्यकताएं		100	
4.(vi)	लेनदेनों पर संविदात्मक रूप से अपेक्षित संपार्श्विक, जिसके लिए प्रतिपक्षकार ने अभी तक संपार्श्विक के पोस्ट होने की मांग नहीं की है, से संबंधित बढ़ी हुई चलनिधि आवश्यकताएं		100	
4.(vii)	उन व्युत्पन्नी लेनदेनों से संबंधित बढ़ी हुई चलनिधि आवश्यकताएं, जो गैर-एचक्यूएलए आस्तियों के बदले संपार्श्विक की अनुमति देते हैं		100	
4.(viii)	30 दिन की अवधि में परिपक्व होने वाले एबीसीपी, एसआईवी, एसपीवी आदि [(ए)+(बी)]			

[2] इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं (आईएमबी) में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) जैसी सभी सुविधाएं शामिल हैं, जो ग्राहकों को अपने खाते/खातों से डिजिटल रूप से धनराशि अंतरित करने में सक्षम बनाती हैं।

[3] इसमें गैर-वित्तीय संस्थाएं जैसे ट्रस्ट (शैक्षिक/धार्मिक/धर्मार्थ ट्रस्ट), व्यक्तियों का संघ (एओपी), साझेदारी, स्वामित्व, सीमित देयता भागीदारी और अन्य निगमित संस्थाएं आदि से प्राप्त निधीयन शामिल है।

[4] बैंक, समय-समय पर अद्यतन किए गए 01 अप्रैल 2025 के 'बासल III पूंजी विनियमन' पर मास्टर परिपत्र विवि.सीएपी.आरईसी.2/21.06.201/2025-26 के पैराग्राफ 4.4.9.1(ii) का संदर्भ उन संस्थाओं की सांकेतिक सूची के लिए ले सकते हैं जिन्हें वित्तीय संस्थाएं माना जा सकता है।

[5] जैसा कि 26 मई 2016 को 'बैंकों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सेवाएं' पर मास्टर निदेश डीबीआर.एफएसडी.सं.101/24.01.041/2015-16 के पैराग्राफ 3.(vi) में परिभाषित किया गया है।

4(viii)a	परिपक्व होने वाले एबीसीपी, एसआईवी, एसपीवी आदि से देयताएं (परिपक्व होने वाली राशियों और लौटाने योग्य आस्तियों पर लागू)		100	
4(viii)b	परिपक्व होने वाली राशियों पर लगाई गई आस्ति समर्थित प्रतिभूतियां		100	
4.(ix)	[(ए) + (बी) + (सी) + (डी) + (ई) + (एफ़) + (जी)] को उपलब्ध कराई गई वर्तमान में अनाहरित प्रतिबद्ध ऋण और चलनिधि सुविधाएं [6]			
4(ix).a	खुदरा और छोटे कारोबारी ग्राहक		5	
4.(ix).b	वित्तेतर कॉर्पोरेट, सम्प्रभु और केंद्रीय बैंक, बहुमुखी विकास बैंक और पीएसई - ऋण सुविधाएं		10	
4.(ix).c	वित्तेतर कॉर्पोरेट, सम्प्रभु और केंद्रीय बैंक, बहुमुखी विकास बैंक और पीएसई - चलनिधि सुविधाएं		30	
4(ix).d	बैंक		40	
4.(ix).e	अन्य वित्तीय संस्थाएं (प्रतिभूति फर्मों, बीमा कंपनियों सहित) - ऋण सुविधाएं		40	
4.(ix).f	अन्य वित्तीय संस्थाएं (प्रतिभूति फर्मों, बीमा कंपनियों सहित) - चलनिधि सुविधाएं		100	
4(ix).g	अन्य विधिक हस्ती ग्राहक		100	
4.(x)	अन्य आकस्मिक निधीयन देयताएं [(ए) + (बी) + (सी)]			
4.(x).a	गारंटियां, साख-पत्र और व्यापार वित्त		3	
4.(x).b	उगाही योग्य किया ऋण और चलनिधि सुविधाएं		5	
4.(x).c	अन्य कोई		5	
4.(xi)	इस टेम्पलेट में अन्यत्र नहीं लिए गए अन्य कोई संविदात्मक बहिर्प्रवाह		100	
	बी. कुल नकद बहिर्प्रवाह (1+2+3+4)			
	सी. नकद अंतर्प्रवाह			
1.	निम्नलिखित संपार्श्विक द्वारा समर्थित परिपक्व होने वाले प्रिभूत उधार लेनदेन [(i) + (ii) + (iii)]			
1.(i)	स्तर 1 आस्तियों के साथ		0	
1.(ii)	स्तर 2ए आस्तियों के साथ		15	
1.(iii)	स्तर 2बी आस्तियों के साथ		50	
2	सभी अन्य संपार्श्विकों द्वारा समर्थित मार्जिन उधार		50	
3	अन्य सभी आस्तियां		100	
4	ऋण की श्रृंखला ऋण या चलनिधि सुविधाएं या अन्य आकस्मिक निधीयन सुविधाएंजो बैंक अपने स्वयं के प्रयोजनों से अन्य संस्थाओं में धारण करता है		0	
5	प्रतिपक्षकार द्वारा अन्य अंतर्प्रवाह [(i) + (ii) + (iii)]			
5.(i)	खुदरा और छोटे कारोबारी प्रतिपक्षकार		50	
5.(ii)	ऊपर अंतर्प्रवाह श्रेणियों में सूचीबद्ध लेनदेनों से इतर लेनदेनों के लिए वित्तेतर थोक प्रतिपक्षकारों से प्राप्य राशियां		50	
5.(iii)	ऊपर अंतर्प्रवाह श्रेणियों में सूचीबद्ध लेनदेनों से इतर लेनदेनों के लिए वित्तीय संस्थाओं भारिबैंक/केंद्रीय बैंकों से प्राप्य राशियां		100	
6	निवल व्युत्पन्नी नकद अंतर्प्रवाह		100	
7	अन्य संविदात्मक नकद प्रवाह (कृपया फूटनोट के रूप में विनिर्दिष्ट करें)		50	
	डी. कुल नकद अंतर्प्रवाह [1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7]			
	ई. कुल नकद बहिर्प्रवाह में से कुल नकद अंतर्प्रवाह घटाएँ [बी-द]			
	एफ़. कुल नकद बहिर्प्रवाह का 25% [बी*0.25]			
	जी. कुल नकद बहिर्प्रवाह [ई अथवा एफ़ में से उच्चतर]			
	चलनिधि कवरेज अनुपात			
	उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों का कुल स्टॉक $\left(\text{पैनल } 1 \text{ की मद सं } 26\right) * 100$ / कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह (पैनल 2 में मद जी)			

[6] बिना शर्त प्रतिसंहरणीय और बिना शर्त रद्द करने योग्य सुविधाओं को छोड़कर, जो क्रम संख्या 4.(x) 'अन्य आकस्मिक वित्तपोषण सुविधाओं' के अंतर्गत कवर की जाएंगी।

ज्ञापन मद संख्या 1	**विदेशी सम्प्रभु द्वारा जारी या गारंटीकृत बिक्रीयोग्य प्रतिभूतियां जिन पर 0% जोखिम भार है, जैसा कि ऊपर पैनल के अंतर्गत क्रम सं.5 में रिपोर्ट किया गया है देश-वार ब्योरा नीचे उपलब्ध कराया जाए:**	
क्रम संख्या	**देश का नाम**	**रा शि**
1		
2		
ज्ञापन मद संख्या 2	**सम्प्रभु सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं या बहुमुखी विकास बैंकों के दावे अथवा उनके द्वारा गारंटीकृत दावे दर्शाने वाली बिक्री योग्य प्रतिभूतियां, जिन पर बासल ॥ मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत ऋण जोखिम पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लगाया गया है, बशर्ते उन्हें किसी बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी या उनकी किसी संबद्ध संस्था द्वारा जारी न किया गया हो, जैसा कि ऊपर पैनल । के अंतर्गत क्रम सं. 10 में रिपोर्ट किया गया है कराया जाए: जारीकर्ता-वार ब्योरा नीचे उपलब्ध**	**सं**
क्रम संख्या	**जारीकर्ता का नाम**	**रा शि**
2.1	विदेशी संप्रभु (देश का नाम दें)	
(i)		
(ii)		
2.2	सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं (पीएसई)	
(i)		
(ii)		
2.3	एमडीबी, बीआईएस, आईएमएफ़	
(i)		
(ii)		
ज्ञापन मद संख्या 3	**सहायक कंपनी का नाम और तरलता हस्तांतरण प्रतिबंधों को प्रतिबिंबित करने के लिए एचक्यूएलए में किए गए समायोजन की राशि।**	
क्रम संख्या	**सहायक कंपनी का नाम**	**रा शि**
3.1		
3.2		

2. 'चलनिधि जोखिम प्रबंधन और चलनिधि मानकों पर बासल III फ्रेमवर्क – चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी उपाय और एलसीआर प्रकटीकरण मानक' पर दिनांक 23 मार्च 2016 का परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.86/21.04.098/2015-16

ए. मौजूदा पाठ में संशोधन

क्रम संख्या	संदर्भ पैरा	मौजूदा पाठ	संशोधित पाठ
1	अनुबंध का क्रम संख्या 9	बैंक आमतौर पर ग्राहकों की जमाराशि पर ऋण देते हैं। यदि कोई जमाराशि बैंक द्वारा दी गई ऋण सुविधा अथवा ऋण को सुरक्षित करने के लिए संपार्श्विक के रूप में बैंक के पास अनुबंध के अंतर्गत गिरवी रखी जाती है, जो अगले 30 दिनों में परिपक्व या निपटाया नहीं जाएगा, तो बैंक ऐसी गिरवी रखी गई जमाराशि को एलसीआर गणना, अर्थात बहिर्प्रवाह से बाहर कर सकते हैं, केवल तभी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं: • ऋण अगले 30 दिनों में परिपक्व या निपटाया नहीं जाएगा; • गिरवी/ग्रहणाधिकार व्यवस्था कानूनी रूप से लागू अनुबंध के अधीन है, जो ऋण के पूर्ण निपटान अथवा पुनर्भुगतान से पहले जमा राशि की निकासी की अनुमति नहीं देता है; तथा • अपवर्जित की जाने वाली जमा राशि ऋण की बकाया राशि (जो ऋण सुविधा का आहरित भाग हो सकता है) से अधिक नहीं हो सकती। उपर्युक्त उपाय उस जमाराशि पर लागू नहीं होता है जो किसी आहरित सुविधा के विरुद्ध गिरवी रखी जाती है, ऐसी स्थिति में, आहरित सुविधा अथवा गिरवी रखी गई जमाराशि पर लागू बहिर्वाह दर में से जो उच्चतर हो, वह लागू होती है।	ए. बैंक आमतौर पर ग्राहकों की जमाराशि पर ऋण देते हैं। यदि किसी जमाराशि को ~~बैंक द्वारा दी गई~~ ऋण सुविधा अथवा ऋण को सुरक्षित करने के लिए संपार्श्विक के रूप में ~~बैंक के पास~~ गिरवी रखा जाता है, जो अगले 30 दिनों में परिपक्व या निपटाया नहीं जाएगा, तो बैंक ऐसी गिरवी रखी गई जमाराशि को एलसीआर गणना, अर्थात बहिर्प्रवाह से बाहर कर सकते हैं, केवल तभी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों: • ऋण अगले 30 दिनों में परिपक्व या निपटाया नहीं जाएगा; • गिरवी/ग्रहणाधिकार व्यवस्था कानूनी रूप से लागू अनुबंध के अधीन है, जो ऋण के पूर्ण निपटान अथवा पुनर्भुगतान से पहले जमा राशि की निकासी की अनुमति नहीं देता है; तथा • अपवर्जित की जाने वाली जमा राशि ऋण की बकाया राशि (जो ऋण सुविधा का आहरित भाग हो सकता है) से अधिक नहीं हो सकती। बी. उपर्युक्त उपाय उस जमाराशि पर लागू नहीं होता है जो किसी आहरित सुविधा के विरुद्ध गिरवी रखी जाती है, ऐसी स्थिति में, आहरित सुविधा अथवा गिरवी रखी गई जमाराशि पर लागू बहिर्वाह दर में से जो उच्चतर हो, वह लागू होती है। सी. यदि कोई जमाराशि, जिसकी अब तक एलसीआर में गणना नहीं की जाती है (उदाहरण के लिए गैर-पुनर्प्राप्ति योग्य सावधि जमाराशि), किसी ऋण सुविधा या ऋण सुरक्षित करने के लिए संपार्श्विक के रूप में अनुबंध के तहत गिरवी रखी जाती है, तो ऐसी जमाराशि एलसीआर के लिए प्रतिदेय मानी जाएगी और उपर्युक्त पैरा (ए) और (बी) के प्रावधान लागू होंगे।